1671/3661
22-12-25

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली

संख्या –1532/ छब्बीस – एम0बी0 (2025 – 2026) दिनॉक : गोपेश्वर 11 दिसम्बर, 2025

अधिशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग थराली।

विषय– **तहसील नारायणबगड क्षेत्रान्तर्गत फारकोट से डडुवागाड तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयनित किये जाने विषयक।**

कृपया उपरोक्त विषयक उप जिलाधिकारी थराली के कार्यालय पत्र संख्या –456/र0का0–क्षतिपूरक वृ0 /2025–26 दिनॉक 17.11.2025 जो कि तहसील नारायणबगड क्षेत्रान्तर्गत फारकोट से डडुवागाड तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयनित किये जाने विषयक है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण उक्त मोटर मार्ग हेतु ग्राम चोपता में 5.220है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का प्रस्ताव इस कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतएव संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त मोटर मार्ग हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम** से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्न–यथोपरि।

AE (NB) / Praveen

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी चमोली।

ERK4N-914
26/11/25

LACI
S/ CMP
24-11-25

प्रेषक,

तहसीलदार,
नारायणबगड।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

द्वारा – उप जिलाधिकारी, थराली।

संख्या – 456 /र0का0–क्षतिपूरक वृ0/2025–26 दिनॉकः नारायणबगड, 17 , नवम्बर, 2025

विषय :– **तहसील नारायणबगड़ क्षेत्रान्तर्गत फारकोट से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयनित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, थराली के पत्र संख्या–8(A)/AE दिनांक 19.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तहसील नारायणबगड़ क्षेत्रान्तर्गत फारकोट से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.61है0 वन भूमि के सापेक्ष 5.220है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक जाखपाटियूं से जांच करायी गयी। राजस्व उप निरीक्षक जाखपाटियूं की जांच आख्यानुसार वांछित भूमि ग्राम चोपता, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र नलगांव, तहसील नारायणबगड़, जिला चमोली, अन्तर्गत चिन्हित की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खतौनी का विवरण	श्रेणी	खतौनी खाता सं0	खसरा सं0	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	विवरण
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नारायणबगड़	चोपता	N.Z.A.	9(3) ङ बंजर	30	2033	9.128	5.220	–
कुल प्रस्तावित रकवा								**5.220है0**	

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का याचक विभाग (लो0नि0वि0), वन विभाग, एवं राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाना आवश्यक है, प्रस्तावित भूमि भू–अभिलेखों में श्रेणी –9(3) ङ बंजर के रूप में दर्ज है।

उक्तानुसार उपरोक्त फारकोट से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.61है0 वन भूमि के सापेक्ष 5.220है0 सिविल भूमि प्रस्तावित की जा रही है।

अतः उपरोक्त मोटरमार्ग हेतु ग्राम चोपता में 5.220है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नक्शा, खतौनी एवं खसरा संलग्न कर प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

<u>संलग्नक</u> :– यथोपरि।

भवदीय

तहसीलदार,
नारायणबगड।

तहसीलदार नारायणबगड़ की क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव आख्या श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली की सेवा में सादर प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
थराली।

नकल खतौनी ज0वि0र0

ग्राम–चोपता राठउ0नि0 क्षेत्र–नलगांव तहसील–नारायणबगड

1	2 .	3	4	5	6 .	7	8
30	बंजर श्रेणी9 3(ङ)	17 18 xx xx xx xx xx 2033 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3133	0.071 0.116 xxxx xxx xxx xxx xxx 9.128 xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx 0.028				
		60	42.313				

राजस्व उप निरीक्षक

जाखपाटियूं

नकल खसरा

ग्राम- चोपता राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र- नलगांव तहसील नारायणबगड़ जनपद चमोली

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2033	9.128	30	उत्तराखण्ड सरकार		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर	9.128	-	-

नोट - नकल खसरा असल से तैयार किया गया
कि ग्राम चोपता की ज० वि० २० वर्तमान खाता सं० 30 के खसरा सं० 2033 रकबा 9.128 है० मध्ये
5.220 है० भूमि जनपद चमोली के नारायणबगड़ क्षेत्र में फारकोट - डुडुवागाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण
हेतु वन-भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की जाती है।

रा० उ०नि०
नारायणबगड़

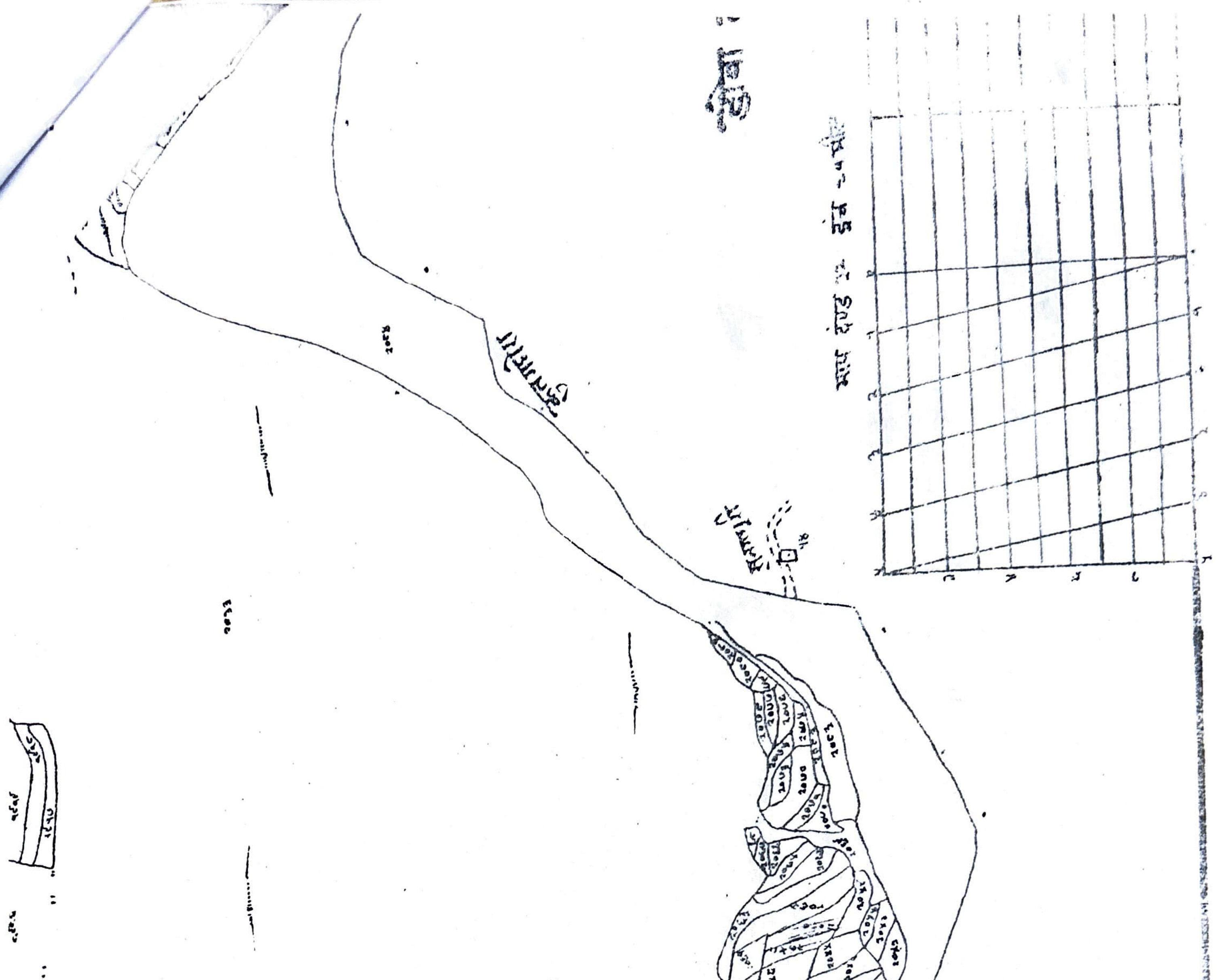

नोट - खसरा न० 2033 रकबा 9.128 हे०
मध्ये 5.220 हे० भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
हेतु प्रस्तावित

(हस्ताक्षर)
रा० उ० नि०
जारवणीय